दैनिक जागरण
16-3-10

अपने हितों के प्रति सजग रहें उपभोक्ता

आयोग में उपभोक्ता के अधिकार

- उपभोक्ता अपनी सुरक्षा के प्रति अधिकारों के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं
- आयोग में शिकायत दर्ज कराने के लिए उपभोक्ताओं को बकायदा अधिकार दिये गए हैं
- आयोग में शिकायत दर्ज कराकर उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है
- उपभोक्ता को यह भी अधिकार है कि वह समय-समय पर अपने हितों से सम्बन्धित शिक्षा प्राप्त कर सकता है

उपभोक्ता न्यायालयों की सीमा

जिला उपभोक्ता फोरम : 20 लाख तक
राज्य आयोग : एक करोड़ तक
राष्ट्रीय आयोग : एक करोड़ से अधिक तक के दावों के लिए

देश के उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की ओर से इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं, लेकिन उसकी गति तेज करने की जरूरत है। ये बातें सोमवार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से स्थानीय तारामंडल में आयोजित विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस समारोह में अवकाश प्राप्त प्रशासनिक अधिकारी आई.सी.कुमार ने कहीं। राजधानी में आज उपभोक्ता दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में यह संकल्प लिया गया कि सरकारी स्तर पर उपभोक्ताओं की हितों में जितने भी प्रयास किये जा रहे हैं उन्हें और बढ़ाया जायेगा लेकिन उपभोक्ताओं को भी अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा।

श्री कुमार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि पर खराब प्रभाव पड़ रहा है, जिससे दिनोंदिन पैदावार में कमी आ रही है, यह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है।

सरकार को बिचौलियों पर भी नजर रखने की जरूरत

ऐसे में खाद्यान्न संकट की समस्या दिनोंदिन गंभीर होती जायेगी। लोगों के सामने भोजन की समस्या मुंह बाये खड़ी है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को भोजन की व्यवस्था करे। साथ ही सरकार को बिचौलियों पर भी नजर रखने की जरूरत है ताकि खाद्यान्न एवं अन्य जरूरी सामग्री का मूल्य नियंत्रित रहे। कई बार बिचौलियों की कालाबाजारी के कारण आवश्यक सामग्री की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि आम लोगों को खरीद करना मुश्किल हो जाता है। इस अवसर पर एस.एन.सिंहा, उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संयुक्त सचिव राधा बिहारी ओझा, अपर सचिव बैजनाथ प्रसाद, उप सचिव जय शंकर प्रसाद यादव, स्टेट फूड कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार एवं उमेश कुमार श्रीवास्तव सहित कई लोगों ने भाग लिया। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रदेश शाखा की ओर से भी संगठन के कार्यालय में उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया गया, मौके पर गोपाल प्रसाद सिंह, अजय यादव सहित कई लोगों ने भाग लिया। जे.डी.वीमेंस कालेज के अर्थशास्त्र विभाग की ओर से उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया गया, जिसमें प्राचार्य डा.उषा सिंह, डा.हेमलता खरे, डा.नंदनी मेहता, सहित कई लोगों ने भाग लिया। उपभोक्ता विकास मंच की ओर से आयोजित सेमिनार में मंच के अध्यक्ष मुरलीधर सिंह, डा.आर.एन. विश्वकर्मा, अजय कुमार सहित कई लोगों ने भाग लिया। सेन्टर फार कन्जूमर स्टडीज एण्ड रिसर्च के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में डा.अनिल सुलभ, डा.के.के.सिन्हा एवं नवल किशोर चौधरी सहित कई लोगों ने भाग लिया।

■ हमारे प्रतिनिधि